>

Title: Need to implement Rehabilitation and Resettlement Policy in Uttarakahand.

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान उत्तराखंड राज्य द्वारा विस्थापन एवं पुनर्वास की नीति की घोषणा के अभाव में जनता की परेशानी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने भीषण दैवीय आपदा का दंश झेला है, जिससे भारी संख्या में जान-माल का नुकसान हुआ। इस भारी दैवीय आपदा ने हजारों परिवारों को खानाबदोश जीवन जीने पर मजबूर कर दिया। ऐसे में विस्थापन एवं पुनर्वास की नीति के अभाव में प्रभावित लोगों के लिए न रहने को घर रहे, न आजीविका के साधन।

महोदय, उत्तराखंड के थराली, देवाल, कुलसारी, रिंगवाड़ी, कमेडी, भेंसोड़ा, पल्ला, पंजाड़ा एवं चुकूम आदि कई ऐसे गांव हैं जिनका पुनर्वास अति आवश्यक है। इन ग्रामों के नागरिक भय के माहौल में जीवन जीने को मजबूर हैं। पहाड़ों में दरारें आ रही हैं, भूधसांव हो रहा है, लोगों के मकान पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं। इस सर्दी में वे खुले आसमान के नीचे जीने को मजबूर हैं। गावों में भय के कारण लोग सो नहीं पा रहे हैं। इन क्षेत्रों के नागरिकों का पुनर्वास शीघ्र किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। परन्तु उत्तराखंड सरकार द्वारा विस्थापन एवं पुनर्वास की नीति सार्वजनिक न होने के कारण वहां की जनता त्रस्त है। अभी तक पुनर्वास के लिए भूमि को चिन्हित कर उसका सर्वेक्षण भी नहीं करवाया गया है।

उत्तराखंड राज्य की सीमाएं चीन व नेपाल के साथ लगती हैं। ऐसे में राज्य के डीआरडीए कर्मचारियों व पटवारियों की हड़ताल राष्ट्र सुरक्षा में चिंता का विषय है। राज्य सरकार ने बिना सम्पूर्ण योजना के करोड़ों रुपये से पटवारी चौंकियां तो बनवा दीं, परन्तु वहां पानी, बिजली की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण करोड़ों रुपये की सम्पति बेकार पड़ी है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह राज्य सरकार को निर्देशित करे कि वह डीआरडीए कर्मचारियों व पटवारियों की हड़ताल समाप्त करवाए तथा विस्थापन एवं पुनर्वास नीति को शीघ्र सार्वजनिक करे जिससे उत्तराखंड के भूकम्पीय, संवेदनशील क्षेत्रों का शीघ्र पुनर्वास सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद।